

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

संचिका सं०-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2017²⁰²...../पटना-15,दिनांक-27 जुलाई, 2017
भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार
दिनांक-26.07.2017 के अपराहन के प्रभाव से राज्य के मुख्य मंत्री नहीं रहे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31.7.17
27/7/17
(अंजनी कुमार सिंह)

मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2017²⁰²...../पटना-15,दिनांक-27 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य
मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सरकार के सभी
प्रधान सचिव/सचिव/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

9522
(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/7/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2017²⁰²...../पटना-15,दिनांक-27 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास
भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9522
(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/7/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2017²⁰²...../पटना-15,दिनांक-27 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में
प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9522
(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/7/17

सरकार के प्रधान सचिव